न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 48/2024
जी.सी.एम.एस– 2024/65

अपीलार्थीगण:–

1. श्रीमती खम्माकंवर पत्नी स्व. श्री भंवर सिंह
2. हेम सिंह पुत्र स्व. श्री भंवर सिंह उम्र 45 वर्ष
   सभी जातियान राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:–

1. बाग सिंह पुत्र स्व. तखत सिंह
2. सुमेर सिंह पुत्र स्व. तखत सिह
3. नखत सिंह पुत्र स्व. तखत सिंह
4. भैरू सिंह पुत्र स्व. तखत सिंह
5. धापू कंवर पत्नी स्व. तखत सिंह
   समस्त जातियान राजपूत निवासीगण गुमानसिंहपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
6. जसवंत सिंह पुत्र स्व. हिम्मत सिंह
7. जालम सिंह पुत्र स्व. हिम्मत सिंह
8. भोम सिंह पुत्र पुत्र स्व. हिम्मत सिंह
9. देवी सिंह पुत्र स्व. हिम्मत सिंह
10. अभय सिंह पुत्र स्व. हिम्मत सिंह
11. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. हिम्मत सिंह
12. अंतर कंवर पत्नी स्व. हिम्मत सिंह रेस्पो. सं. 05 से 12 जाति राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तह. शेरगढ, जिला जोधपुर
13. कबू कंवर पुत्री स्व. हिम्मत सिंह पत्नी हीर सिंह जाति राजपूत निवासी ईशरू, तह. बापिणी, जिला जोधपुर।
14. पेंप सिंह पुत्र स्व. मोड सिंह
15. फतेह सिह पुत्र स्व. मोड सिंह
16. देवी सिंह पुत्र स्व. गेन सिंह
17. जेठू सिंह पुत्र स्व. गेन सिंह
18. मोहन कंवर पत्नी स्व. गेन सिंह
19. आम्ब सिंह पुत्र स्व. कुंभ सिंह
20. जगमाल सिंह पुत्र स्व. कुंभ सिंह
21. अभय सिंह पुत्र स्व. कुंभ सिंह
22. मगु कंवर पत्नी स्व. कुंभ सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

रेस्पो. सं. 14 से 22 जातियान राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तह. शेरगढ, जिला जोधपुर

23.त्रिलोक सिंह पुत्र स्व. केसर सिंह जाति राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तह. शेरगढ, जिला जोधपुर

24.गायड सिंह पुत्र स्व. केसर सिंह जाति राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तह. शेरगढ, जिला जोधपुर हाल निवास पुलिस लाईन, जैसलमेर।

25.हवा कंवर पत्नी स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तह. शेरगढ, जिला जोधपुर

26.दलपत सिंह गोद पुत्र स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

27.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शेरगढ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण सं. 197 दिनांक 15.07.2016 को तहसीलदार (भू.अ.), शेरगढ द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री के.के. गोयल (अपीलार्थी पक्ष की ओर से)
2. रेस्पोडेन्टस नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

राजस्व अपील संख्या– 49/2024
जी.सी.एम.एस– 2024/66

अपीलार्थीगणः–

1. श्रीमती खम्माकंवर पत्नी स्व. श्री भंवर सिंह
2. हेम सिंह पुत्र स्व. श्री भंवर सिंह

सभी जातियान राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगणः–

1. बाग सिंह पुत्र स्व. तखत सिंह
2. सुमेर सिंह पुत्र स्व. तखत सिह
3. नखत सिंह पुत्र स्व. तखत सिंह
4. भैरू सिंह पुत्र स्व. तखत सिंह
5. धापू कंवर पत्नी स्व. तखत सिंह

समस्त जातियान राजपूत निवासीगण गुमानसिंहपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

6. जसवंत सिंह पुत्र स्व. हिम्मत सिंह
7. जालम सिंह पुत्र स्व. हिम्मत सिंह
8. भोम सिंह पुत्र पुत्र स्व. हिम्मत सिंह
9. देवी सिंह पुत्र स्व. हिम्मत सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

10.अभय सिंह पुत्र स्व. हिम्मत सिंह
11.महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. हिम्मत सिंह
12.अंतर कंवर पत्नी स्व. हिम्मत सिंह
रेस्पो. सं. 05 से 12 जाति राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तह. शेरगढ, जिला जोधपुर
13.कबू कंवर पुत्री स्व. हिम्मत सिंह पत्नी हीर सिंह जाति राजपूत निवासी ईशरू, तह. बापिणी, जिला जोधपुर।
14.पेंप सिंह पुत्र स्व. मोड सिंह
15.फतेह सिह पुत्र स्व. मोड सिंह
16.देवी सिंह पुत्र स्व. गेन सिंह
17.जेठू सिंह पुत्र स्व. गेन सिंह
18.मोहन कंवर पत्नी स्व. गेन सिंह
19.आम्ब सिंह पुत्र स्व. कुंभ सिंह
20.जगमाल सिंह पुत्र स्व. कुंभ सिंह
21.अभय सिंह पुत्र स्व. कुंभ सिंह
22.मगु कंवर पत्नी स्व. कुंभ सिंह
रेस्पो. सं. 14 से 22 जातियान राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तह. शेरगढ, जिला जोधपुर
23.त्रिलोक सिंह पुत्र स्व. केसर सिंह जाति राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तह. शेरगढ, जिला जोधपुर
24.गायड सिंह पुत्र स्व. केसर सिंह जाति राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तह. शेरगढ, जिला जोधपुर हाल निवास पुलिस लाईन, जैसलमेर।
25.हवा कंवर पत्नी स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तह. शेरगढ, जिला जोधपुर
26.दलपत सिंह गोद पुत्र स्व. कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी गुमानसिंहपुरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
27.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शेरगढ।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 31.05.2016 जो कि तहसीलदार, शेरगढ द्वारा राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार–2016 में पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1. अधिवक्ता श्री के.के. गोयल (अपीलार्थी पक्ष की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री नाहर सिंह सोलंकी व श्री पुष्पेन्द्र सिंह (प्रत्यर्थी पक्ष 09, 17, 21 की ओर से)
3. शेष रेस्पोडेन्ट नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

आदेश **दिनांक 28.04.2025**

1. उक्त दोनो अपीलों में [illegible] है तथा दोनो अपीलों में विवाद की विषयवस्तु व वाद का कारण समान होने से दोनो का एकीकरण किया जाकर एक ही

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

निर्णय से निर्णित किया जाना न्यायोचित है ताकि दोनो निर्णयों में एकरूपता रहे। अपील सं. 49/2024 तहसीलदार शेरगढ द्वारा ग्राम रामनगर के ख.नं. 1090 का सह खातेदारों के मध्य आपसी से पारित विभाजन आदेश दिनांक 31.05.2016 को अपास्त कराने हेतु पेश की गई तथा अपील सं. 48/2024 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 की धारा 75 के तहत उक्त विभाजन आदेश दिनांक 31.05.2016 को रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु दर्ज नामांतरकरण सं. 197 ग्राम रामनगर दिनांक 15.07.2016 को अपास्त कराने हेतु पेश की गई है। अतः दोनों प्रकरण में एक ही पक्षकार व विवाद की विषयवस्तु एक ही होने से सुविधा की दृष्टि से दोनों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। अतः निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

अपील सं. 49/2024 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अंतर्गत तहसीलदार शेरगढ द्वारा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 53(2) के तहत कृषि भूमि को आपसी सहमति पर पारित आराजी विभाजन आदेश दिनांक 31.05.2016 को अपास्त कराने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 08.07.2024 को प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी सं. 09, 17 व 21 की ओर से श्री नाहर सिंह सोलंकी ने वकालतनामा पेश किया। शेष पर नोटिस तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारभूत तथ्य इस प्रकार है कि (ग्राम रामनगर वर्तमान नया ग्राम श्री हरपाल नगर) पं.म.शेरगढ, तहसील शेरगढ का खसरा नं. 1090 रकबा 105.04 बीघा अपीलांट व प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों के नाम संयुक्त खातेदारी की शामलाती कृषि भूमि आई हुई है। "राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2016" अभियान के दौरान 31.05.2016 को सभी अभिलिखित सह खातेदारों की सहमति से उक्त आराजी के विभाजन हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार, शेरगढ को पेश किया था। विभाजन प्रस्ताव के साथ एक नजरी नक्शा भी पेश किया गया था, जिसमें लाल स्याही से डोटेड लाईन से अलग–अलग प्लॉटो को दर्शाया गया। अपीलांट के पूर्वज श्री भंवर सिंह उस समय बीमार थे तथा वे अनपढ भी थे। तैयार प्रस्ताव के प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि हमने हमारा विभाजन कृषि भूमि पर आवागमन [illegible] रास्ते की व्यवस्था की है। बंटवारा प्रस्ताव से भूमि को 10 भागों में विभाजित [illegible] गया। सभी ने पटवारी व राजस्व विभाग के अधिकारियों के विश्वास करते हुए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर/अंगूठे कर दिये। रिकॉर्ड में अमलदरामद करते समय नक्शे [illegible] तरमीम की गई, जिसके अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नये खसरा 1090/2 से 1090/9 तक की भूमि के आगे एक शामलाती रास्ता ख.नं. 1090/10 रकबा 0.18 हैक्टर नक्शें में दर्शाया गया, जिसमें अपीलांट के पूर्वज भंवरसिंह का नाम भी दर्ज है। ख.नं. 1090/2 से 1090/9 तक एक ही लाईन में तरमीम किये गये परंतु ख.नं. 1090 व 1090/1 की भूमि उक्त खसरो की लाईन के पीछे तरमीम की गई परंतु ख.नं. 1090 व 1090/1 के खातेदारों को 1090/10 की शामलाती रास्ते की भूमि से पहुंचने हेतु रास्ता नहीं दिया गया जो कि कानूनी रूप से देना जरूरी था, जो ख.नं. 1090/5 व 1090/4 में से 400 फीट लंबा व 22 फीट चौडा प्रस्तावित था परंतु उसकी नक्शे में तरमीम नही की गई, जिसके कारण अभी जून 2024 में रेस्पोंडेंट ने उनकों ख.नं. 1090 की भूमि पर खसरा नम्बर 1090/10 के शामलाती रास्ते से पहुंचने हेतु मना कर दिया। उक्त रास्ते की नक्शें में तरमीम नहीं होने की जानकारी अपीलांट को हुई तथा जानकारी के तारीख से अपील अंदर म्याद पेश की है तथा देरी को कन्डोन करने हेतु अलग से एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया गया है तथा नक्शें में रास्ते को दर्शाने का कार्य अधीनस्थ न्यायालय का था तथा न्यायालय की त्रुटि के कारण अपीलांट को दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलांट्स के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता ख.नं. 1090 व 1090/1 पर पहुंचने के लिए उपलब्ध नहीं है जबकि विभाजन से पूर्व ख.नं. 1090 की शामलाती भूमि में से सभी सह खातेदारों को रास्ते का सुखाधिकार उपलब्ध था। अतः आदेश दिनांक 31.05.2016 को निरस्त कर संलग्न नक्शे अनुसार विभाजन किया जावे।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री के.के.गोयल ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि आपसी सहमति से किये गए बंटवारा प्रार्थना पत्र में सभी खातेदारों को अपनी-अपनी भूमि तक पहुंचने हेतु रास्ता उपलब्ध कराया जाने का उल्लेख है परंतु नक्शे में बंटवारा की तरमींम करते समय ख.नं. 1090 व 1090/1 की भूमि के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराया है, जो दस्तावेजों से साबित है। रास्ता एक आत्यंतिक आवश्यकता है, जिसके बिना अपीलांट अपनी भूमि का उपयोग ही नहीं कर सकता। जबकि पूर्व में पुश्तैनी भूमि में पीढियों से रास्ता है। अपीलांट बंटवारा के दौरान रास्ता प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी है, परंतु कर्मचारियों की मनमानी के कारण उसे परेशान होना पड़ रहा है। न्यायालय [illegible] आदेश दिया था, जो आज भी लागू है।

6. अपीलांट्स के अधिवक्ता की [illegible] प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नाहर सिंह सोलंकी ने बहस करते [illegible] कथन किया कि बंटवारा सन्

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2016 में कैंप में आपसी सहमति से नियम 20 के तहत किया गया था। हिस्से अनुसार नक्शें में तरमीम की गई है। रास्ते के लिए धारा 251ए में अलग से प्रावधान है, जिसका उपयोग अपीलांट वैकल्पिक उपचार के रूप में कर सकता है परंतु बंटवारे को आक्षेपित करना औचित्यपूर्ण नहीं है। बंटवारा विधि सम्मत है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

7. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के प्रत्युत्तर में अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वह बंटवारा के आदेश का नक्शें में गलत तरमीम को सुधारने के लिए अपील में आये है। कर्मचारियों की तकनीकी त्रुटि के कारण अपीलांट्स को दण्डित करना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट्स का आक्षेप मात्र रास्ता उपलब्ध कराने तक ही है। अन्य किसी आधार पर अपीलांट्स अपील में नहीं आये है। अतः न्याय किया जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, उभयपक्ष द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों व कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों का भली भांति अध्ययन कर उसका गहन मनन किया। हमारा विनिश्चिय इस प्रकार हैः–

a) सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 का निस्तारण करना आवश्यक है। अपीलाधीन बंटवारा आदेश दिनांक 31.05.2016 को पारित किया है तथा इस आदेश की पालना में नामांतरकरण सं. 197 दिनांक 15.07.2016 को तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है। उक्त दोनों आदेशो को अपास्त कराने हेतु उक्त दोनों अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.07.2024 को पेश की गई है। अपीलांट्स ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा 4 में उल्लेख किया है कि अपीलांट्स यही मान रहे थे कि उन्हे रास्ता दिया गया है लेकिन माह जून 2024 के प्रथम सप्ताह में रेस्पोंडेंट्स द्वारा वाहन रोकने पर दिनांक 21.06.2024 को आलोच्य आदेश की प्रति लेने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई कि अपीलांट्स को बंटवारे में ख.नं. 1090 की भूमि प्राप्त हुई है। परंतु इस खसरे में पहुंचने हेतु अन्य खसरों में से रास्ता दर्ज नहीं किया गया है। उक्त जानकारी होने के तुरंत बाद दिनांक 08.07.2024 को यह अपील पेश की जा रही है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है। उक्त कथनों का खण्डन प्रत्यर्थीगण [illegible] जवाब पेश कर शपथ पत्र से खण्डन नहीं किया है। [illegible] आवागमन में प्रत्यर्थीगण द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं करने के कारण [illegible] को रिकॉर्ड की जानकारी नहीं होने का कथन सही प्रतीत होता है। [illegible] पेश करने में हुई देरी सद्भाविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

होने से क्षम्य योग्य होने से न्यायहित में प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण करना उचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद पेश होना सुमार की जाती है।

b) ग्राम रामनगर (नया ग्राम श्री हरपाल नगर) का खसरा नं. 1090 अपीलांट व प्रत्यर्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज था तथा आराजी पुश्तैनी है। उक्त आराजी का आपसी सहमति से विभाजन कराने हेतु राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 53 (2) के तहत प्रार्थना पत्र तहसीलदार शेरगढ को दिनांक 31.05.2016 को न्याय आपके द्वार 2016 अभियान में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में विभाजित भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ते की व्यवस्था करने का स्पष्ट उल्लेख है। प्रस्ताव के संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्लॉट अलग दर्शाए है। जिसे तहसीलदार शेरगढ ने स्वीकार कर रिकॉर्ड में अमलदरामद कराने हेतु पटवारी शेरगढ को आदेश क्रमांक राजस्व लोक अदालत–2016 /216/दिनांक 31.05.2016 से जारी किये गये है। उक्त आदेश की पालना में ग्राम रामनगर का नामांतरकरण सं. 197 दिनांक 15.07.2016 को दर्ज किया तथा नये खसरा नं. 1090, 1090/1 से 1090/9 तक सृजित कर खाते अलग–अलग कर दिये तथा खसरा नं. 1090/10 रकबा 0.18 हेक्टर शामलाती खाते में मार्ग के रूप में दर्ज किया गया है तथा नामांतरकरण की पुस्त पर रेखांकित नक्शों में ख.नं. 1090/2 से 1090/9 तक के आगे ख.नं. 1090/10 का रास्ता दर्शाया है परंतु ख.नं. 1090 व 1090/1 तक पहुंचने हेतु कोई रास्ता नहीं दर्शाया है तथा इसी अनुसार नामांतरकरण दिनांक 15.07.2016 को स्वीकृत होने पर नक्शा लट्ठा में तरमीम की गई जिसके कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है। राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के आदेश क्रमांक प–5(1)राज–6/97–जयपुर दिनांक 06.11.2004 से काश्तकारों की कृषि जोत के विभाजन करने के पूर्व रास्ते का प्रावधान करने का आदेश दिया है। जिसके अनुसार राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 53 के तहत जब भी डिक्री/सहमति के आधार पर कृषि जोत का विभाजन किया जावे तो संबंधित अधिकारी विभाजन करते समय विभाजन से पूर्व प्रत्येक संबंधित काश्तकार के लिए रास्ते का प्रावधान करना सुनिश्चित करे, जिसके लिए भविष्य में काश्तकारों के बीच रास्ते की समस्या उत्पन्न नहीं होवे तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी [illegible] जा सके। सभी उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर एवं तहसीलदार को [illegible] आदेश की पालना करने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में [illegible] अजमेर द्वारा परिपत्र सं. 10546 दिनांक 05.10.2020 से भी जारी किया [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary.
Date: 2025.05.22 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

c) प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण सं. 12/2025 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2025 में संदर्भित नियम 18 की व्यवस्था का हवाला देते हुए कथन किया कि तहसीलदार द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत प्रस्तावों का स्वीकार करना होगा परंतु हस्तगत प्रकरण के तथ्य बिल्कुल भिन्न है, जिसमें प्रस्तावों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। उक्त उल्लेखित प्रकरण में अपीलांट का आक्षेप भूमि कम–ज्यादा देने बाबत था। हस्तगत प्रकरण में सभी पक्षकारों नें प्रस्तावों में सभी खातेदारों का आराजी तक पहुचने हेतु रास्ता उपलब्ध होने का कथन स्पष्ट रूप से किया है तथा संयुक्त पुश्तैनी आराजी के विभाजन होने पर पूर्व से ही सभी सहखातेदारो को रास्ते के रूप मे उपलब्ध सुखाचार के अधिकार, जो आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध थे, उन्हे कम नही किया जा सकता तथा उन्हें राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 251A के प्रावधानो के तहत रास्ता प्राप्त करने हेतु बाध्य नही किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में विचित्र स्थिति यह है कि संयुक्त खातेदारी के विभाजन के फलस्वरूप 10 प्लॉटों में से 8 को तो ख.नं. 1090/10 के रूप से शामलाती रास्ता दिया गया हैं, जिसमें अपीलांट्स का भी रिकॉर्डेड हिस्सा है, परंतु ख.नं. 1090 व 1090/1 के नए खातेदारों को उनके ही संयुक्त सामलाती मार्ग ख.नं. 1090/10 से ख.नं. 1090 व 1090/1 तक पहुंचने हेतु रास्ता नहीं देना कहॉ तक न्यायोचित है। जबकि न्यायिक व व्यवहारिक दृष्टिकोण से विभाजन के पश्चात् सभी नए खातेदारों के अपने अपने खेतों तक पहुंचने हेतु रास्ता उपलब्ध होना चाहिए तथा राज्य सरकार के उक्त आदेश दिनांक 06.11.2004 से सभी उपखण्ड अधिकारियों/सहायक कलक्टरों एवं तहसीलदार को उक्त व्यवस्था की पालना करने हेतु आदेशित किया गया है। जो विधि सम्मत व्यवस्था है। अतः प्रत्यर्थी का आक्षेप अव्यवहारिक व विधि प्रावधानों के विपरीत होने से मानने योग्य नहीं है।

9. इस न्यायालय के आदेश कोर्ट 12024/132 दिनांक 11.07.2024 की पालना में तहसीलदार शेरगढ ने ख.नं. 1090 की मूल भूमि का मौका निरीक्षण दिनांक 15.07.2024 को किया जाकर पत्रांक भू.अ./2024/1849 दिनांक 15.07.2024 से रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार नए ख.नं. 1090 (अपीलांटस के नाम) की भूमि तक ख.नं. 1090/10 (मार्ग) से पहुंचने हेतु रिकॉर्ड में रास्ता द[illegible] मौके पर ख.नं. 1090/8 में से पगडंडी रास्ता बना हुआ है, अन्य रास्ता नहीं [illegible] रिपोर्ट के साथ ख.नं. 1090, 1090/1 से 1090/10 तक के [illegible] जमाबंदी पेश की है। ख.नं. 1090 अपीलांट खम्मा कंवर व हेम सिंह की [illegible]दारी में दर्ज है तथा ख.नं. 1090/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हवा कंवर पत्नी कल्याण सिंह की खातेदारी में है। ख.नं. 1090/10 रकबा रकबा 0.18 हैक्टर भूमि, ख.नं. 1090, 1090/1 से 1090/9 तक के सभी खातेदारों के नाम शामलाती मार्ग के रूप में दर्ज है। मात्र पगडंडी आवागमन के लिए पर्याप्त नहीं है। काश्तकारों को वाहन आवागमन के लिए पर्याप्त चौडाई का स्थायी रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है, जिसको नक्शें में तरमीम करना तहसीलदार, पटवारी, भू.अ.निरीक्षक का दायित्व था, परंतु इन्होने भेदभावपूर्ण तरीके से अपने पदों का दुरूपयोग करते हुए अन्यायपूर्ण कृत्य किया है तथा इन पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं दायित्वों का इन्होने निर्वहन भली भांति नहीं किया है, जिसकी वजह से इन काश्तकारों को अनावश्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा अनावश्यक रूप से पक्षकारों के मध्य मुकदमेबाजी न्यायालयों में चल रही है तथा न्यायालयों का अमूल्य समय भी बर्बाद किया जा रहा है, जो कि किसी अन्य न्यायपूर्ण कार्यों के लिए सदुपयोग किया जा सकता था। अतः इस प्रकरण में दोषी पटवारी, भू.अ.निरीक्षक व तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु इस निर्णय की प्रति श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) महोदय, जोधपुर को भेजी जावे, ताकि सरकार के आदेशों की अवहेलना करने की लगातार बढती प्रवृति पर अंकुश लगाया जा सके तथा आमजन को न्याय मिले।

10. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 49/2024 (2024/66) अंतर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक रूप से ख.नं. 1090/10 से अपीलांट के ख.नं. 1090 व अन्य के ख.नं. 1090/1 तक रास्ता उपलब्ध कराने की सीमा तक ही स्वीकार की जाती है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ख.नं. 1090/5 व 1090/4 के मध्य की माठ से रास्ता देने से दोनों ख.नं. 1090 व 1090/1 की भूमि को लघुतम व नजदीकी रास्ता उपलब्ध हो सकेगा। इस रास्ता की चौडाई ख.नं. 1090/10 के मार्ग की चौडाई अनुसार ही रखी जावे। उक्तानुसार रास्ता देने के फलस्वरूप जितनी भूमि ख.नं. 1090/4 में से रास्ते में जाएगी, उतनी भूमि ख.नं. 1090/1 में से कम की जाकर ख.नं. 1090/4 में क्षतिपूर्ति हेतु जोड दी जावे तथा जितनी भूमि ख.नं. 1090/5 में से रास्ते में से जायेगी, उतनी भूमि खसरा नम्बर 1090 में से कम की जाकर खसरा नम्बर 1090/5 में क्षतिपूर्ति हेतु जोड दी जावे तथा नया रास्ता की भूमि ख.नं. 1090 व 1090/1 के खातेदारों के नाम शामलाती में दर्ज की जावे। उपरोक्त आंशिक [illegible] के अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2016 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार शेरगढ उक्तानुसार आदेश पारित कर रिकॉर्ड में अमलदरामद करें तथा नक्शों में भी तरमीम करे। उक्त कार्यवाही पन्द्रह दिन में संपन्न की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

11. चूंकि नामांतरकरण सं. 197 ग्राम रामनगर दिनांक 15.07.2016 से बंटवारा आदेश दिनांक 31.05.2016 का रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया है। चूंकि उक्त पैरा 10 में अपील सं. 49/2024(2024/66) में पारित निर्णय अनुसार बंटवारा आदेश दिनांक 31.05.2016 में मात्र ख.नं. 1090 व 1090/1 तक ख.नं. 1090/10 से ख.नं. 1090/4 व 1090/5 में से रास्ता उपलब्ध कराने की सीमा तक ही संशोधित/परिवर्तित किया गया है। अतः पारिणामिक रूप से नामांतरकरण सं. 197 के विरूद्ध दायर अपील सं. 48/2024 (2024/65) को आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत अपील सं. 49/2024 (2024/66) में पारित निर्णय की सीमा तक नामांतरकरण सं. 197 में दर्ज इन्द्राजों को तथा इस नामांतरकरण सं. 197 की पालना में अभिलेखों में किये गये समस्त इन्द्राजों को भी उसी सीमा तक अपास्त किया जाता है। तहसीलदार शेरगढ को आदेशित किया जाता है कि अपील सं. 49/2024 (2024/66) अंतर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में पारित उक्तानुसार निर्णय अनुसार नए सिरे से नामांतरकरण दर्ज कर अभिलेखों में इन्द्राज करे।

12. तहसीलदार शेरगढ को आदेशित किया जाता है कि इस निर्णय के पैरा 9 में किये गए निरूपण (Observation) की पालना में इस प्रकरण में दोषी तहसीलदार, भू.अ. निरीक्षक व पटवारी के विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर जिला कलक्टर (भू.अ.) महोदय, जोधपुर को 15 दिवस में प्रेषित करे।

13. निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार शेरगढ से प्राप्त नामांतरकरण सं. 197 व विभाजन की पत्रावली का मूल अभिलेख पुनः लौटाया जावे।

14. निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

15. तहसीलदार, शेरगढ द्वारा उक्तानुसार निर्णय की पालना 15 दिन में आवश्यक रूप से पूर्ण की जायेगी। जब तक तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही संपन्न नहीं हो जाती, तब तक इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 11.07.2024 प्रवर्तनशील रहेगा तथा प्रत्यर्थीगण, अपीलांट्स के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

16. निर्णय की प्रति श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.), जोधपुर को पैरा 9 में किये गये निरूपण अनुसार कार्यवाही हेतु विभाजन पत्रावली व नामांतरकरण की प्रति के साथ भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

17. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। समस्त लंबित प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाते है।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:34:41 IST
Reason: SelfAttested